

मानक शर्तें:

1. गृणि हस्तान्तरण के बाद भी उसके विभागिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रहित या आवृत्ति वन भूमि की रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल क्षेत्रिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदम्बित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विदेश को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संपुर्ण निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूट्राम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा उके दार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित नुआवजो के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग राहगत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से समन्वित वनाधिकारी की दर-रेत्र में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में घनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन गृणि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पद से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पद की सतिष्ठता एवं अन्य जन्तुओं के स्वास्थ्य विवरण की लातझग सुनिश्चित करने के बाद ही गृणि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल नियन्त्रण द्वारा वन विभाग की नवरारियों भौमि को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग क्षेत्र प्रयोजन हेतु करने अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन गृणि रखते विभाग किसी प्रकार के प्रतिक्रिया वा भुगतान किये वन विभाग को वापस ही जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित गृणि तथा उस पर निर्माण भवन आदि स्वतः विना किसी प्रतिक्रिया वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेट तथा होके राष्ट्रीय रसायन रसायन एवं वन विभाग का उत्तम राजनीतिगत द्वारा प्राप्त विभाग जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, समन्वयिता के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्टी द्वारा गैरिकों को सन्दोषित पर संहिता 606 सी 10 दिनांक 10-2-82 में निर्हित आदेशों का पालन भी सांतीतिगत द्वारा किया जायेगा कि उत्तमर्ग वनाना लायक वन भौमि को ऐसे बदल जर यक्का करना याचक विभाग के लिए से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही अतिरिक्त है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्पन्नता विभागिकारा द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्पन्नता प्रमाण पत्र के अनुरूप पर आकालेग भौमि को याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े तृक्षों का निरसनारा द्वय विभाग लाइन लेने वाले याचक और कोई उपयुक्त प्रतिवेद्या जो वन विभाग उचित समझ द्वारा किया जायगा। यदि किसी कारण से तृक्षों का निरसनारा द्वय विभाग द्वारा समझ न हो तो उसके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा तृक्षों का बाजार गढ़ पर मूल्य देने होगा।
14. हस्तान्तरित गृणि पर वड़ने वाले पूर्वों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित गृणि के सम्पुर्ण वृक्षांशों का भुगतान क्षमता सन्तुष्ट है और याचकी गृणि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी द्वारा विभाग में वृक्षांशों का 3 दर्द तक परिवेश प्रदूष जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 फीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ऊंचाई पर खड़े पूर्वों पर, पारान भी निषिद्ध हैं। इसी प्रकार बाज़ के पैदों पर पारान भी निषिद्ध है। ऐसे तृक्षों के वर्तन का

(२३०)

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खगड़ों को ऊचा करके इसे चुनिशित किया जायेगा। यदि पिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की सख्त संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निशित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का धारतावेक हस्तान्तरण तभी विद्या जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुन्द्रित स्तर से अत्यासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड राज्य तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

वन विभाग
उत्तराखण्ड
जस्ताई बाणी, लौ०नि०वि०
बैरोगाँव (पिथौरागढ़)

Assistant - Engineer
Ty. Div. P.W.D.
DERINAG (Pithoragarh)